A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 27/प्रा.पत्र/2020
(GCMS No. 2020/00029)

तारीख दायरा
19.02.2020

तारीख निर्णय
12.03.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

रूपा आ. बदना जाति बलाई,
निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रूपा आ. बदना जाति बलाई निवासी ग्राम किशनपुरा को किये गये भूमि आवंटन में से खसरा संख्या 548/423 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम किशनपुरा आवंटन आदेश दिनांक 14.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार रूपा पुत्र बदना जाति बलाई उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 27/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00029 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 03.06.2020 उसके भतीजा सुरेश पर तामील होकर प्राप्त

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

आ। तत्पश्चात प्रोपर तामील हेतु दिनांक 18.11.2021 को जारी नोटिस गवाह भोजराज के समक्ष एवं पुनः दिनांक 12.01.2022 को जारी नोटिस गवाह बरदिलाल के समक्ष अप्रार्थी के मकान पर चस्पानगी से तामील करवाई गई। उक्त तीन नोटिसों पर तामील करवाये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी उपस्थित न्यायालय नहीं आया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से बहस पेरोकार सरकार सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 548/423 रकबा 15 बीघा भूमि रूपा आ. बदना जाति बलाई को आवंटन हुई थी। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन अधिनियम,1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा शेष द्वितीय वर्ष में काश्त किया जाना आवश्यक है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि आवंटी रूपा आ. बदना जाति बलाई निवासी किशनपुरा को मिसल संख्या 178/3 पर दिनांक 14.10.1977 को भूमि खसरा सं. 423 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम किशनपुरा का आवंटन किया गया था। तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत यहां भिजवाया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4(1) आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं एवं बिन्दू संख्या 4(2) आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है, अंकित है। प्रकरण के संलग्न हल्का पटवारी नमाना की मौका रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य अंकित है। अप्रार्थी तीन नोटिस तामील होने के बावजूद भी उपस्थित न्यायालय नहीं आया है। जिससे आवंटी की उक्त आवंटित भूमि में रूचि नहीं होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। इस प्रकार आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार उक्त भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A 6/3

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी रूपा आ. बदना जाति बलाई निवासी किशनपुरा को मिसल संख्या 178/3 पर दिनांक 14.10.1977 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 423 रकबा 15 बीघा (नये खसरा नं. 548/423 रकबा 2.3070 हैक्टेयर) वाकेग्राम किशनपुरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद पूर्ति अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी